न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 36 / 2018

पंकज कुमार जैन पुत्र मिलाप चंद जैन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला टोंक
–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 06.08.2018**

अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2018 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

ग्राम तितरिया पटवार हल्का हिसामपुर तहसील देवली के आ0ख0नं0 895 व 896 जो कि रामलाल पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी तितरिया के गैर खातेदारी रिकार्ड इन्द्राज है,उक्त आ0खं0नं0 मे नोट नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 12.12.1990 व श्रीमान तहसीलदार साहब(भू0अ0) देवली के आदेश कमांक 7767 दिनांक 12.12.1990 से गैर खातेदारी स्वीकृत हुआ है। कृपया नामान्तकरण संख्या 15 जिन--2 दस्तावेजात व आदेशो को आधार बनाकर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है,इससे संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपियां नियमानुसार अन्दर मियाद आवेदक को उपलब्ध कराये जाने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 1111 दिनांक 16.07.2018 व 1165 दिनांक 30.07.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली ने पत्र कमांक 2793 दिनांक 24.07.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि पत्र कमांक 2794 दिनांक 24.07.2018 से अपीलार्थी को कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड अनुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक